



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर
दिनांक -24.12.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों को 08 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय टाण्डा के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.12.2025 को चौकी प्रभारी मेडिकल कालेज 30नि0 खीश कुमार यादव व थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -229/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त 1. अरविन्द वर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण वर्मा निवासी पिपरी मोहम्मदी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर 2. देव कुमार उर्फ देवा पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी तेनुआ पियारेपुर थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर को नहर पुलिया मखदूम सराय से दिनांक 23.12.2025 समय 23.45 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा एक अन्य अभियुक्त अंशुल गुप्ता उर्फ अंशु पुत्र उमाकान्त उर्फ भोला निवासी मखदूम सराय थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर मौके से फरार हो गया जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्तगण/आपराधिक इतिहास

1. अरविन्द वर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण वर्मा निवासी पिपरी मोहम्मदी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर (गिरफ्तार)
आपराधिक इतिहास -- (1)मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2)बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
- (2) कायमी मु0अ0सं0 -243/2025 धारा- 317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
2. देव कुमार उर्फ देवा पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी तेनुआ पियारेपुर थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर (गिरफ्तार)
आपराधिक इतिहास -- (1)मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2)बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
- (2) कायमी मु0अ0सं0 -243/2025 धारा- 317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
3. अंशुल गुप्ता उर्फ अंशु पुत्र उमाकान्त उर्फ भोला निवासी मखदूम सराय थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर (गिरफ्तारी हेतु शेष)

गिरफ्तारी व बरामदगी स्थल- नहर पुलिया मखदूम सराय, मोटर साइकिल स्टैन्ड मेडिकल कालेज सहरपुर।

बरामदगी- 1900 रुपये व 08 अदद मोटरसाइकिल

1. मोटरसाइकिल का नं0 UP 45 AN 9139 अपाची सफेद रंग सम्बन्धित मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
2. स्पेन्डर प्लस UP45Z7268 सम्बन्धित मु0अ0सं0 945/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर
- 3- बजाज प्लेटिना UP45 P5950 सम्बन्धित मु0अ0सं0 589/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर
- 4- मोटरसाइकिल स्पेन्डर प्लस UP45 AN1080 सम्बन्धित मु0अ0सं0 777/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर
- 5- मोटरसाइकिल सुपर स्पेन्डर काला रंग का नम्बर UP42 AJ6855 सम्बन्धित मु0अ0सं0 742/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर
- 6- मोटरसाइकिल स्पेन्डर प्लस काला रंग का नम्बर UP45 AM9516 सम्बन्धित मु0अ0सं0 776/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर अम्बेडकरनगर
- 7- मोटरसाइकिल टीबीएस अपाची सफेद रंग का UP45 AM8849
8. मोटरसाइकिल सुपर स्पेन्डर काला रंग का UP45 Q2925

अपराध विवरण अभियुक्तगण-

- 1.तीनो अभियुक्तो द्वारा मिलकर आस पास के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से मौका देखकर मोटर साइकिल चोरी करना, अभियुक्तगणो के कब्जे से 08 मोटर साइकिल की बरामदगी ।
- 2.दिनांक 21/22-11-2025 की रात बहाउद्दीनपुर बाजार अखण्डनगर सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में पीछे से सेंध लगाकर दुकान में घुसकर एक लोहे की तिजोरी जो करीब 4 फिट लम्बी 3 फिट चौड़ी चोरी करना जो थाना को0 टाण्डा द्वारा बरामद की गयी थी उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर पर मु0अ0सं0 315/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत है ।
3. दिनांक 30.11.2025 को रात में अमेदा बाजार स्थित देशी शराब के ठेके में घुस कर चोरी करना, उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में थाना इब्राहिमपुर में पर मु0अ0सं0 286/25 धारा 331(4)/305/324(4) बीएनएस पंजीकृत है ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रवीश कुमार चौकी प्रभारी मेडिकल कालेज सदरपुर थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
2. उ0नि0 आशीष कुमार थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
3. हे0का0 सुनील कुमार यादव थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर
4. का0 तेजबहादुर राजभर थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर